

फर्द अहकाम

(नियम 29)

अदालत सहायक कलक्टर चौहटन व मुकाम चौहटन

बनाम बाबूनाम आइराम वगैर

किस्म मुकदमा आवेदन मुकदमा नम्बर 48/19 /200

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/5/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाट के वकील श्री <u>शाफर खान</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>212 Pt. III</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>बिग्नार्थी/प्रतिवादी/रेपोर्टेड जस्टिस नोटिस/सम्मान तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री <u>अपविष्ट राठौड़</u> उप. हुए। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री <u>पवन धारीवाल</u> उप. हुए। विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता श्री <u>पवन धारीवाल</u> ने <u>क्यालतनामा</u> मय जवाब पेश किया, जो शादिल पत्रावली किया। उपरि-वृत्त अधिवक्ताओं की कहल सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आशुजी के सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी किया जावे,</p> <p style="text-align: right;"><i>Contd.</i></p>	

विपार्थी सं. 4 के अधिवक्ता ने कहा कि उनका लिखित जवाब ही वदम है। यदि वादग्रह आराजी के सम्बन्ध में स्थान आदेश जारी किया जाता है तो विपार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

बिना अधिवक्ताओं की वदम पर गण विपार्थी / पत्रावली का अधिपत्र अवलोकन विपार्थी / पत्रावली पर ललकन वतावेजात का अधिलोकन किया गया। जिसके आधार पर मौजा आलमसर, तहसील चंदा के खसरा सं. 661/245 का का 60.00 बीघा भूमि में पार्थी के हिस्से तक की भूमि पर विपार्थी गण को इस कदर पावत किया जाता है कि वे वाद के फैसला होने तक रेकर्ड व मौजे की पधारिणी बनाये रखें। पत्रावली कुल भुमार होकर लाकेल कदर है। संख्या से कम हो।



22/11/2019
98
सहायक कलेक्टर
(SDO) चंद्रनगर